



**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-25.09.2026, जनपद आजमगढ़**

**साइबर फ्रॉड के दो मामलों में आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों के ₹13,247/- कराये वापस**

**थाना मुबारकपुर व गम्भीरपुर पुलिस की साइबर टीम ने फ्रॉड की धनराशि करायी होल्ड, नियमानुसार पीड़ितों के खातों में वापस करायी धनराशि**

**साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की आजमगढ़ पुलिस ने की अपील**

जनपद आजमगढ़ में साइबर फ्रॉड के मामलों में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की फ्रॉड की गई धनराशि को होल्ड कराकर वापस करायी जा रहा है। इसी क्रम में थाना मुबारकपुर एवं थाना गम्भीरपुर क्षेत्र के दो अलग-अलग साइबर फ्रॉड के मामलों में पुलिस की साइबर टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल ₹13,247/- पीड़ितों के खातों में वापस कराये गये।

थाना मुबारकपुर क्षेत्र में शमशेर अली निवासी पुरानी बस्ती के साथ फल उपलब्ध कराने का झांसा देकर ₹57,000/- की साइबर ठगी की गई थी। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹56,565/- होल्ड कराये गये, जिसमें से ₹6,690/- नियमानुसार पीड़ित के खाते में वापस कराये गये। शेष धनराशि की वापसी हेतु सम्बन्धित बैंक से समन्वय कर कार्यवाही प्रचलित है।

इसी प्रकार थाना गम्भीरपुर क्षेत्र में तिलथु यादव निवासी ग्राम कमरावां के HDFC बैंक खाते से फोन-पे के माध्यम से ₹44,998/- का साइबर फ्रॉड हुआ था। साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए धनराशि होल्ड करायी गयी, जिसमें से ₹6,557/- MRM पोर्टल के माध्यम से पीड़ित के खाते में वापस कराये गये। शेष धनराशि की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

**इस प्रकार दोनों मामलों में कुल ₹13,247/- की धनराशि पीड़ितों को वापस करायी गयी है।**

आजमगढ़ पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत दर्ज करायें, जिससे ठगी की धनराशि को समय रहते होल्ड कराकर वापस कराने की कार्यवाही की जा सके।

**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-25.09.2026**

**थाना-रानी की सराय, जनपद आजमगढ़**

**• नसीम उर्फ लम्बू .315 बोर तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार**

**• कोटिला हाईवे कट के पास पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद**

**• नसीम उर्फ लम्बू के विरुद्ध चोरी, गोवध, हत्या के प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट सहित 18 अभियोग हैं**

**पंजीकृत**

घटना/गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के नेतृत्व में उ०नि० अमिताबचन्द मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे।

इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कोटिला हाईवे कट के पास एक व्यक्ति अवैध असलहा लिये हुए है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम नसीम उर्फ लम्बू पुत्र दिलशेर निवासी कोटिला, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष बताया। जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्त को दिनांक 25.09.2026 को समय करीब 01:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथआ बरामदगी के आधार पर थाना रानी की सराय पर मु०अ०सं०- 262/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 262/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।  
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- नसीम उर्फ लम्बू पुत्र दिलशेर निवासी कोटिला, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष।  
बरामदगी- 01 अदद तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

| क्र०स० | मु०अ०स०  | धारा                                                | थाना         | जनपद   |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| 01     | 211/2018 | 41/411 भादवि                                        | अहरौला       | आजमगढ़ |
| 02     | 89/2018  | 379/411भादवि                                        | बरदह         | आजमगढ़ |
| 03     | 23/2020  | 429 भादवि व 11पशु कुर० 3/5ए/8गोवध नि०अधि०           | बिलरियागंज   | आजमगढ़ |
| 04     | 74/2020  | 3(1)यू०पी० गैगेस्टर एक्ट                            | जहानागंज     | आजमगढ़ |
| 05     | 34/2021  | 307/34 भादवि                                        | जहानागंज     | आजमगढ़ |
| 06     | 35/2021  | 3/5ए/8 गोवध नि० अधि०                                | जहानागंज     | आजमगढ़ |
| 07     | 389/2022 | 3(1)यू०पी० गैगेस्टर                                 | जहानागंज     | आजमगढ़ |
| 08     | 372/2023 | 307/34 भादवि                                        | जहानागंज     | आजमगढ़ |
| 09     | 19/20226 | 303(2)/317(2) बी०एन०एस०                             | जहानागंज     | आजमगढ़ |
| 10     | 594/2025 | 111/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61(2) बी०एन०एस० | कोतवाली      | आजमगढ़ |
| 11     | 286/2023 | 120बी/396/412 बी०एन०एस०                             | निजामाबाद    | आजमगढ़ |
| 12     | 252/2023 | 3(1)यू०पी० गैगेस्टर                                 | निजामाबाद    | आजमगढ़ |
| 13     | 79/2016  | 147/504/506 भादवि व 3(1)(X) SC ST Act               | रानी की सराय | आजमगढ़ |
| 14     | 188/2017 | 147/323/336/427/504/506 भादवि व 7CLA Act            | रानी की सराय | आजमगढ़ |
| 15     | 14/2021  | 379 भादवि                                           | रानी की सराय | आजमगढ़ |
| 16     | 140/2021 | 379/511 भादवि                                       | रानी की सराय | आजमगढ़ |
| 17     | 44/2026  | 109(1)/351(3) बी०एन०एस०                             | रानी की सराय | आजमगढ़ |
| 18     | 45/2026  | 3/25आर्म्स एक्ट                                     | रानी की सराय | आजमगढ़ |
| 19     | 262/2026 | 3/25 आर्म्स एक्ट                                    | रानी की सराय | आजमगढ़ |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० अमिताबचन्द, हे०का० दुर्गेश पाल, हे०का० दिनेश यादव, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-25.09.2026

थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़

• किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वांछित सचिन गिरफ्तार

• स्कूल जाते समय बोलेरो में बैठाकर किशोरी को ले जाने का आरोप

थाना महाराजगंज पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र चन्द्रपाल निवासी कुम्हवट, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। दिनांक 21.09.2026 को थाना महाराजगंज पर तहरीर प्राप्त होने के बाद थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0- 230/2026 दर्ज किया गया था। आरोप है कि किशोरी को स्कूल जाते समय बोलेरो वाहन में बैठाकर ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान में प्रकरण में धारा 137(2)/87/65(1)/352/351(3) बीएनएस एवं धारा 3/4(2) पाँक्सो एक्ट के तहत विवेचना की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष महाराजगंज उ0नि0 जयप्रकाश मय पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त सचिन को दिनांक 25.09.2026 को भैरोदासपुर पुलिस के पास से करीब 11:55 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के बाद मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 230/26 धारा 137(2), 87, 65(1), 352, 351(3) BNS व 3/4(2) पाँक्सो एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सचिन पुत्र चन्द्रपाल निवासी कुम्हवट, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष उ0नि0 जयप्रकाश, का0 मार्तण्ड कुमार, का0 शिवांश मिश्रा, का0 दिनेश कुमार थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-25.09.2026

जनपद आजमगढ़

साइबर जागरूकता अभियान के तहत NCC कैडेट्स को साइबर अपराध से बचाव की दी गई जानकारी

साइबर सेल व थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त टीम ने 99 UP BN NCC CATC-328 में आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम

साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने की अपील

शासन द्वारा निर्गत आदेश-निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर सेल के मार्गदर्शन में दिनांक 25.09.2026 को थाना सिधारी

क्षेत्रान्तर्गत हेन्टल मेडिकल कॉलेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़ स्थित 99 UP BN NCC CATC-328 में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में साइबर सेल आजमगढ़ एवं थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एनसीसी कैडेट्स (छात्र/छात्राओं) को साइबर अपराध के बदलते स्वरूप एवं उससे बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया गया। साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम ने सोशल मीडिया का सतर्कता से प्रयोग करने, अनजान लिंक/कॉल/मैसेज पर विश्वास न करने तथा साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने की अपील की।

साइबर सेल के आरक्षी सत्येन्द्र यादव द्वारा फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया हैकिंग, बारकोड/QR कोड, APK फाइल, फर्जी वेबसाइट, हनी ट्रैप, सिम कार्ड एवं एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड संबंधी फ्रॉड तथा बायोमेट्रिक फ्रॉड से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं आरक्षी राहुल सिंह द्वारा फर्जी कॉल, अनजान WhatsApp वीडियो कॉल, ऑनलाइन लोन एप, सोशल मीडिया पर रुपयों की मांग, फर्जी कस्टमर केयर नंबर एवं UPI फ्रॉड के प्रति कैडेट्स को जागरूक किया गया।

इटौरा चौकी प्रभारी उ0नि0 रंजन कुमार द्वारा साइबर अपराध की घटनाओं के बदलते स्वरूप के संबंध में जानकारी देते हुए साइबर अपराध की शिकायत हेतु [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 1930 के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया।

इस अवसर पर प्रभारी उ0नि0 साइबर सेल रवि प्रकाश गौतम, इटौरा चौकी प्रभारी उ0नि0 रंजन कुमार, आरक्षी सत्येन्द्र यादव एवं का0 राहुल सिंह मौजूद रहे। 99 UP BN NCC CATC-328 के ले0 डॉ0 धीरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त किया गया।

